



No. RUHS CMS/Store/2021-22/ 18430

OFFICE OF THE PRINCIPAL,
RUHS COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES,
Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur-302033
Ph. 0141-2795634, Email: principalruhs@ruhsraj.org
Date: .16.12.2021

सीमित निविदा

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संघटक नवीन चिकित्सालय के कम्प्यूटरीकृत लेखा संधारण, लेखा पुस्तकों के रख-रखाव एवं लेखा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों की सेवा खुली निविदा के आधार पर उपाप्त करने हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 16 के अनुसार रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्मों/लेखा सेवा प्रदाता फर्मों से संलग्न प्रारूप में दिनांक 12/12/2021 को दोपहर 12.00 बजे तक खुली निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है-

क्र.सं.	कार्य का नाम (मय विनिर्देशों के)	अनुमानित दर (प्रति वर्ष)
1.	राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं नवीन चिकित्सालय के कम्प्यूटरीकृत लेखा संधारण, लेखा पुस्तकों के रख-रखाव एवं लेखा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों की सेवा उपाप्त करने हेतु खुली निविदा।	1,50,000/- (कर नियमानुसार अतिरिक्त)

कार्य का विवरण:-

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संघटक राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान चिकित्सालय के कम्प्यूटरीकृत लेखा संधारण, जिनमें निम्नानुसार कार्य सम्मिलित हैं-

- नकद प्राप्ति की कम्प्यूटरीकृत रसीद जारी करना।
- कैश बुक, लेजर, तलपट, बैलेंस शीट, फॉर्म 16 बनाना।
- मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण बनाना व माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना एवं अनुबंध अवधि के अंतिम माह का बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत करने पर अंतिम भुगतान किया जायेगा।
- मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आयकर एवं जी.एस.टी. के चालान व विवरण तैयार करना एवं सम्बन्धित विभाग में दाखिल करना तथा आयकर व जी.एस.टी. से संबंधित सभी कार्य।
- संस्था कार्यालय के आयकर एवं जी.एस.टी. चैक/चालान एवं टी.डी.एस. चैक/चालान जमा कराना।
- बजट हैड के अनुसार प्रतिमाह मदवार आय-व्यय विवरण तैयार करना।
- आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संघटक आयुर्विज्ञान चिकित्सालय के बैंक खाते की बैंक से साप्ताहिक आधार पर नकद प्राप्ति एवं खर्च की रिपोर्ट प्राप्त कर उनमें किसी प्रकार की कमी होने पर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की लेखा शाखा को उसकी रिपोर्ट बना कर प्रस्तुत करना।
- आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संघटक आयुर्विज्ञान चिकित्सालय की भविष्य में होने वाली वैधानिक, आन्तरिक एवं राजकीय ऑडिट हेतु सम्पूर्ण वांछित कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड उपलब्ध कराना।
- आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संघटक आयुर्विज्ञान चिकित्सालय के वार्षिक बजट तैयार करने हेतु बजट मदवार वांछित डाटा उपलब्ध कराना।
- आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संघटक आयुर्विज्ञान चिकित्सालय की वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर तैयार करना।
- समस्त प्रकार के कम्प्यूटरीकृत लेखा संधारण के डाटा का नियमित रूप से अपडेट कम्प्यूटर में दर्ज करना एवं आपातकालीन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए समस्त डाटा के संरक्षण हेतु नियमित रूप से बैकअप लेना।
- उक्त कार्य हेतु नियुक्त किये जाने वाले अनुबन्ध संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम व प्रशिक्षित व्यक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी.कॉम. (With Tally Expert) होना अनिवार्य है।
- फर्म द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की उपस्थिति कार्यालय समय में सुनिश्चित की जाएगी ताकि आवश्यकता होने पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाए जा सके।
- आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संघटक आयुर्विज्ञान चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा आवश्यकता दर्शाने पर संरक्षित किये गये डाटा को बहाल करना।

डॉ. चन्द्रजीत सिंह चन्देल

प्रिंसिपल एवं कार्यालय प्रमुख

राज. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

राज. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रताप नगर, जयपुर

- जी.एस.टी. से सम्बन्धित रिटर्न बनाकर निर्धारित समयावधि के भीतर सम्बन्धित विभाग में दाखिल करना व जीएसटी से संबंधित अन्य सभी कार्य।
- महाविद्यालय एवं संघटक आयुर्विज्ञान चिकित्सालय का लेखा संधारण व लेखा पुस्तकों का रखरखाव पृथक-पृथक रखा जावेगा।
- अन्य सभी संबंधित कार्य।

भाग-अ तकनीकी बोली प्रपत्र

Sr.No.	Information Required	Details of Information presented
1.	Name and Address of the Firm	
2.	Date of Establishment (Enclose Details)	
3.	Status of the Firm whether a proprietorship, partnership or registered under the Companies Act. Please give Details & Enclose Certificate	
4.	PAN Details	
5.	GST Registration Details	
6.	Registration Certificate of ICAI	
7.	Set Up of Firm (Complete Details of Staff etc. Enclose List)	
8.	Minimum 2 Year of Similar Work Experience required (Enclose supporting Docs.)	
9.	Details of Turn-over during last three years for 2017-18, 2018-19, 2019-20 (Enclose attested Certificate). Annual Average Turnover should be not less than 1.50 Lakh.	
10.	Awards for Excellency If any.	

भाग-ब वित्तीय बोली

नोट:-कृपया वित्तीय निविदा में प्रस्तुत की जाने वाली दरें निम्नानुसार निर्धारित प्रारूप में ही भरें। वित्तीय निविदा में दरें प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा में वर्णित समस्त शर्तों एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें।

क्रम सं.	कार्य का विवरण	दर राशि रु. मासिक (अंको एवं शब्दों में)	कर राशि रु. (वर्तमान प्रचलित दर अनुसार)	कुल राशि रु. (कर सहित) अंको एवं शब्दों में
1.	राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संघटक आयुर्विज्ञान चिकित्सालय के कम्प्यूटरीकृत लेखा संधारण, लेखा पुस्तकों के रख-रखाव एवं लेखा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों हेतु खुली निविदा			

डॉ. चन्द्रजीत सिंह चन्देल

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी

केंद्रीय सफाई शाखा

राज. स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, चण्डीपुर

निविदा की विशिष्ट शर्तें।

1. सीलबन्द निविदाएँ जिन पर "राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संघटक आयुर्विज्ञान चिकित्सालय के कम्प्यूटरीकृत लेखा संधारण एवं लेखा पुस्तकों के रख-रखाव हेतु सीमित निविदा" स्पष्टरूप से अंकित होना आवश्यक है। सीलबन्द निविदा प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के पते पर प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 22/12/2021 को दोपहर 12:00 बजे तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत की जानी होगी, प्राप्त निविदाएँ उसी दिवस को दोपहर 02:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा प्रतिनिधियों के समक्ष सक्षम प्राधिकारी समिति द्वारा खोली जायेंगी।
2. निविदा "एकल कवर प्रणाली" के अनुसार प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। जिसमें भाग 'अ'—तकनीकी बोली प्रपत्र एवं भाग 'ब'—वित्तीय बोली दोनों शामिल होंगी।
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म को अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में न्यूनतम दो वर्ष का उक्त कार्य करने का अनुभव प्रस्तुत करना होगा। जो किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी /गैर सरकारी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का होना अनिवार्य है।
4. निविदादाता फर्म का आइ.सी.ए.आई. से रजिस्ट्रेशन पश्चात् चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म के रूप में स्थायित्व दिनांक 01.12.2020 को न्यूनतम 5 वर्ष का होना अनिवार्य है।
5. निविदादाता फर्म नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की सूची में सूचीबद्ध होनी चाहिए।
6. निविदानुसार निर्धारित मानदण्ड पूरा नहीं करने वाली फर्मों द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. निविदादाता फर्म को निविदा में विनिर्दिष्ट समस्त कार्य एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुए अपनी दरें मासिक आधार पर प्रस्तुत करनी होंगी। निविदादाता फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा में, निविदा शर्तों के अलावा दी गई शर्त बोली प्रस्ताव को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. जी.एस.टी. अथवा अन्य कर जो भी राज्य सरकार के नियमानुसार लागू हों, पृथक रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।
9. बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।
10. सफल निविदादाता फर्म को राशि रु. 500/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर लिखित अनुबन्ध निष्पादित करना होगा, जिसकी प्रारम्भिक अवधि अनुबन्ध/कार्यादेश की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबन्ध की अवधि को दोनों पक्षों की सहमती से भविष्य में नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
11. सफल निविदादाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षित सेवा बिन्दु को आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की लेखा शाखा के अधीन कार्य करना होगा।
12. सफल निविदादाता फर्म को अनुबन्ध के तहत अपनी जिम्मेदारी/जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। इस हेतु फर्म को आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा देय वार्षिक भुगतान का 2.5 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में महाविद्यालय कोष में जमा कराना अनिवार्य है। सुरक्षा राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. के रूप में "प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर" के नाम देय प्रस्तुत करनी होगी, जिसे अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् स्वतः ही सफल निविदादाता को लौटा दिया जायेगा।
13. निविदा के किसी भी भाग/अंश/शर्त आदि में परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन करने का अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा।
14. सफल निविदादाता फर्म की सेवायें संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा निविदा की शर्तों को उल्लंघन करने पर अनुबन्ध को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार प्रधानाचार्य, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।
15. उक्त सेवा प्रदाय करने हेतु सफल निविदादाता फर्म को निर्धारित योग्यताधारी प्रशिक्षित सेवा बिन्दु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त नियुक्त सेवा बिन्दु के किसी दिवस सेवा उपलब्ध नहीं करवाने पर दैनिक आधार पर राशि रु. 200.00 की कटौती की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा नियुक्त सेवा बिन्दु द्वारा वांछित कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर कुशलता एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जावे। उक्त में लापरवाही करने पर प्रथमतः राशि रु. 1000.00, द्वितीयतः राशि रु. 2000.00 व तृतीयतः राशि रु. 3000.00 की पेनल्टी लगाई जायेगी व लगातार लापरवाही जारी रहने पर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
16. आयकर एवं जी.एस.टी. से सम्बन्धित चालना/विवरण समय से जमा/फाइल नहीं किए जाने पर देय पेनल्टी फर्म से वसूल की जाएगी।

डॉ. चन्द्रजीत सिंह चन्देल

चिकित्सा अधिकारी प्रणाली

संयोजक

17. सेवा प्रदाता फर्म को कम्प्यूटर/इन्फ्रास्ट्रक्चर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त कम्प्यूटर/इन्फ्रास्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का नुकसान/हानि होने की अवस्था में मरम्मत/रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च का भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा अपने स्वयं के स्तर पर किया जायेगा।
18. सेवा प्रदाता फर्म को कार्य/सेवा का निष्पादन कर एवं किये गये कार्य की संतोषप्रद रिपोर्ट मासिक आधार पर महाविद्यालय लेखा शाखा से बिल पर प्राप्त कर बिल प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। साथ ही फर्म को अंतिम भुगतान अनुबंध अवधि के अंतिम माह का बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत करने पर होगा। मासिक आधार पर बिल प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए सेवा प्रदाता फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी।
19. अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
20. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा नियुक्त सेवा बिन्दु द्वारा यदि कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा लापरवाही की जाती है तो ऐसी दशा में उक्त सेवा बिन्दु दाता को तुरन्त प्रभाव से निष्कासित करने का अधिकार आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पास सुरक्षित होगा। साथ ही उक्त लापरवाही अथवा अनियमितता के कारण उत्पन्न कोई वित्तीय भार सेवा प्रदाता फर्म से वसूला जायेगा।
21. यदि सेवा प्रदाता फर्म द्वारा अनुबंध की शर्तोंनुसार कार्य का निष्पादन नहीं किया जाता है एवं कार्य में लापरवाही की जाती है तो ऐसी दशा में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा किसी अन्य सेवा प्रदाता फर्म से कार्य करवाया जाकर उसके सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण खर्च का भुगतान अनुबंधित फर्म से लिया जाकर सेवा प्रदाता फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल राशि का 10 प्रतिशत शासित लगाई जावेगी व सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी।
22. सेवा प्रदाता फर्म के बिलों से नियमानुसार आयकर, जी.एस.टी. की कटौती की जावेगी।
23. राज्य व केन्द्र सरकार के समस्त कानून व नियमों की पालना की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता फर्म की होगी।
24. यदि अनुबंध की शर्तों की पूर्ण रूप से अनुपालना नहीं की जाती है तथा इससे किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर द्वारा किया गया निर्णय ही दोनों पक्षों पर मान्य होगा। विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होगा।
25. समान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की सभी शर्तें यथावत लागू होंगी।

(डॉ. सुधान्शु कक्कड़)

प्रधानाचार्य

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,
जयपुर।

No. RUHS CMS/Store/2021-22/ 18431-36

Date 16/12/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सहायक, कुलसचिव राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. वित्त अधिकारी, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।
5. नोटिस बोर्ड एवं राजस्थान लोक उपापन पोर्टल तथा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. चन्द्रजीत सिंह चन्देल)

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,

केन्द्रीय भण्डार शाखा,

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।